

असाधाररा EXTRAORDINARY

भाग II—वण्ड अ—उप-वण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
भाधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

र्स. 78] नई बिल्ली, बुद्धवार, मार्च 1, 1995/फास्मुन 10, 1916 No. 78] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 1995/PHALGUNA 10 ,1916

पेट्रोलियम भौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय

धिधसुचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1995

सांक्तां नि 100(म).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के भिक्षकार का मर्जन) भ्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) की घारा 17 द्वारा प्रदत्त भिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनव्द्वारा पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के भ्रधिकार का ग्रंजन) नियम, 1963 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, भ्रथीन :--

- (1) यह नियम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संसोधन नियम, 1995 कहे जाएं।
 - (2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का प्रजीन) के नियम 4 के उप-नियम (1) में वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस पुन: संख्यांकन के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रति: स्थापित किया जाएगा, प्रथीत :—

"स्पष्टीकरण 2 ---इस उप नियम के उद्देश्य के लिए "पर्याप्त कारण" मिभव्यक्ति का मर्थ मह होगा :---

- (i) जहां विनिर्विष्ट अवधि में दावे के लिए अविदन पत्र दाखिल करने में विलम्ब आविदक के नियंत्रण से परे हैं;
- (ii) जहां निर्धारित श्रवधि में दावे के लिए श्रावेदन पत्न दाखिल करने में विलम्ब विवशता की स्थिति के किसी कारण जैसे दंगे, बाढ़, सिविल पृद्ध, विदेशी भाक्रमण, भूचाल श्रथवा भागश्रादि की वजह से है;
- (iii) जहां भावेदक को ऐसे किन्हीं कारणों द्वारा रोका गया, जो विनिर्दिष्ट स्रविध में दावें करने के लिए उसके नियंत्रण से परे है।"

[संख्या मो-27012/1/93-म्रोएनजीडी-IV] नजीव जंग, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:--मुख्य नियम दिनांक 13-04-1963 के सा॰का॰नि॰ 626 के तहत प्रकाशित किए गए और दिनांक 26-04-1977 के सा॰का॰नि॰ 194(भ) के तह्त इसमें बाद में संशोधन किया गया।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1995

- G.S.R. 100(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules 1963, namely:—
 - (1) These rules may be called the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Rules, 1995.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In sub-rule (1) of rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules 1963, the existing Explanation shall be renumbered as Explanation-1 and after so renumbered the following Explanation shall be inserted, namely:—

"EXPLANATION 2.—For the purpose of this sub-rule the expression "sufficient cause" shall mean:—

- (i) where the delay in filing the application for claim within the specified period is beyond the control of the applicant;
- (ii) where the delay in filing the application for claims within the stipulated period is on account of any force majeure reasons such as riots, floods, civil war, foreign aggression, earthquake, or fire etc.
- (iii) where applicant was prevented by any reasons which is beyond his control from making the claims within the specified period.

[No. O-27012]1[93-ONGD.IV] NAJEEB JUNG, Jt. Secy.

Foot note:—The principal rules were published vide G.S.R. 626 dated 13-4-1963 and subsequently amended vide G.S.R. 194(E), dated 26-4-1977.